स्थापना वर्ष – 1969

जी० डी० बिनानी पोस्ट ग्रैजुएट कालेज

मीरजापुर

प्रवेश विवरणिका

सत्र – 2026–2027

www.gdbinanipgcollege.ac.in ● E-mail : gdbinanipgcollegemzp@gmail.com ● दूरभाष- 955992204, 7905754535

युग पुरूष **सेठ गोवर्द्धन दास बिनानी**

बिनानी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राणधार

1907–1965

महाविद्यालय के संस्थापक

सेठ घनश्याम दास बिनानी

1932–1998

प्राचार्य का संदेश

सम्मानित बन्धुओं,

हमारा महाविद्यालय जी.डी. बिनानी पी.जी. कालेज मीरजापुर, पूर्वांचल ही नहीं वरन उत्तर भारत का एक लब्ध प्रतिष्ठ शैक्षणिक संस्थान है। महाविद्यालय अपने गुणवत्तापरक शिक्षा अनुशासन एवं सुयोग्य प्राध्यापकों हेतु विशेष रूप से प्रसिद्ध है । सम्मानित संस्थान जगत्जननी माँ विन्ध्यवासिनी के उपत्यका के संरक्षण में स्थित है । महाविद्यालय परिसर अपने भौगोलिक संरचना एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से किसी भी आगन्तुक को अभिभूत कर देता है। माता जगत जननी का आशीर्वाद एवं आध्यात्मिक स्नेह सदैव महाविद्यालय पर बना रहता है। सम्मानित प्रबन्धकारिणी समिति के समय–समय पर सहयोग की भी मै हृदय की गहराईयों से आभार प्रकट करता हूँ । ऐसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय का प्राचार्य होना मेरे लिये गौरव की बात है । मेरा अनवरत् प्रयत्न होगा कि मैं इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्यो के बताये हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए महाविद्यालय को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र की उन्नति की मुख्य धारा में जोड़ सकूँ। हमारे महाविद्यालय का आदर्श सूत्र कठोपनिषद् का श्लोक ''उतिष्ठित जाग्रत'' है, जिसका तात्पर्य है ''उठो और जागो ।'' हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को जागृत करना एवं उनकी योग्यता को पहचान कर उनको उच्चतम लक्ष्य की ओर अग्रसर करना है ।

छात्र–छात्रायें किसी भी महाविद्यालय के प्राण होते हैं तथा साथ ही ये हमारी धरोहर एवं भविष्य भी हैं । अतएव् उनके विकास एवं कल्याण के लिये हम सतत् प्रयत्नशील रहेंगे ।

आदरणीय अभिभावक यदि आप चाहते हैं कि आपका पाल्य शिक्षित होकर एक अच्छा नागरिक बन सके तो आपको अपने पाल्य की गतिविधियों पर सतर्क होकर ध्यान देना होगा ।

आप कृपया अपने पाल्य को कक्षा में नियमित आने के लिये प्रोत्साहित करें जिससे वह परीक्षा में बैठने के लिये 75% उपस्थिति प्राप्त कर सके साथ ही यह भी पता लगाते रहें कि वह पैसे एवं समय का सदुपयोग कर रहा है या नहीं ?

यदि आप कष्ट उठाने को तैयार हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका पाल्य एक श्रेष्ठ विद्वान एवं सार्थक नागरिक बनेगा ।

इस कार्य में हमें अपने सहकर्मियों के साथ साथ अभिभावकों के सहयोग की भी आवश्यकता रहेगी। आप सभी के सहयोग एवं सुझाव की प्रतीक्षा होगी ।

शुभास्तु ते पंथा: (आपके मार्ग शुभ हों)

प्रो० अशोक कुमार सिंह

प्राचार्य

नियमावली

* **मेरिट फार्म भरते समय माँ विन्ध्यासिनी विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा।**
* **प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी माँ विन्ध्यासिनी विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल पर प्रयोग किये गये ईमेल और मोबाइल नंबर को ही महाविद्यालय में आवेदन करने में प्रयोग करें।**

1. केवल 2024, 2025 और 2026 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र/छात्रा ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(i) 2026 में इण्टरमीडिएट उर्त्तीण छात्रों/छात्राओं का प्रवेश इण्टरमीडिएट के प्राप्त अंको को शामिल करते हुए मेरिट तैयार की जायेगी।

(ii) 2025 में इण्टरमीडिएट उर्त्तीण छात्रों/छात्राओं का प्रवेश इण्टरमीडिएट के प्राप्त अंको में से 5% अंको की कटौती करते हुए मेरिट तैयार की जायेगी।

(iii) 2024 में इण्टरमीडिएट उर्त्तीण छात्रों/छात्राओं का प्रवेश इण्टरमीडिएट के प्राप्त अंको में से 10% अंको की कटौती करते हुए मेरिट तैयार की जायेगी।

2. ऑनलाइन फार्म दिनांक 20 मई 2026 से 20 जून 2026 तक भरे जायेंगे।

3. ऑनलाइन आवेदन में की गई सभी प्रविष्टियों की जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की होगी।

4. ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन पत्र एवं जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

5. ऑनलाइन फार्म भरते समय जाति प्रमाण-पत्र सं0 का अंकन सही-सही करें क्योंकि इसका मिलान प्रवेश के समय किया जायेगा।

6. प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश सूची प्रकाशन के बाद प्रारम्भ होगी।

7. आवेदन पत्र जमा करते समय छात्र/छात्रा इण्टरमीडिएट के अंकपत्र की एक छायाप्रति एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा भारांक हेतु अन्य प्रमाण पत्र संलग्न करें, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। 10% सीटें आर्थिक कमजोर वर्ग के लिये आरक्षित हैं। EWS का प्रमाण पत्र संलग्न रहने पर ही लाभ देय होगा।

8. <u>प्रवेश के समय सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की मूल अंक तालिका, टी.सी., चरित्र प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।</u>

9. उत्तर प्रदेश शासनादेशानुसार ही प्रवेश का कार्य किया जायेगा। आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

10. मात्र ऑनलाईन आवेदन करना एवं काउंसलिंग फार्म जमा करना प्रवेश की गारन्टी नही होगी।

आनलाईन भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजो के साथ महाविद्यालय में अनिवार्यतः जमा करें ।

आरक्षण संवर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के लिए क्रमशः 21, 02 तथा 27 प्रतिशत स्थान (कुल 50 प्रतिशत) आरक्षित है। विकलांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास एवंपालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) के लिये पृथक-पृथक एक प्रतिशत (1:) स्थान, कुल 03 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए कुल 02 प्रतिशत तथा सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिक अथवा अर्द्धसैनिक आश्रित अथवा जम्मू कश्मीर से विस्थापित नागरिकों के आश्रितों के लिए कुल 05 प्रतिशत सीट सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। महाविद्यालय के स्थायी कर्मियों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक) के आश्रितों (यथा-पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री) के लिए 5-5 प्रतिशत स्थान कुल 10 प्रतिशत स्थान, सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित हैं। उक्त आरक्षण में प्राथमिकता का क्रम निम्नवत् होगा। सेवारत् पूर्णकालिक स्थायी अध्यापक एवं कर्मचारियों को प्रथम वरीयता, सेवाकाल के दौरान मृत पूर्णकालिक स्थायी अध्यापक एवं कर्मचारी को द्वितीय वरीयता तथा सेवानिवृत्त पूर्णकालिक स्थायी अध्यापक एवं कर्मचारी आश्रितों को तृतीय वरीयता दी जायेगी। अध्यापक आश्रित की सीट रिक्त रहने की स्थिति में कर्मचारी आश्रित से तथा कर्मचारी आश्रित की सीट रिक्त रहने की स्थिति में अध्यापक आश्रित कोटे से प्रवेश कर लिया जायेगा। संदर्भित आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक सिर्फ कार्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। महिलाओं के कुल आरक्षित सीट संख्या में से 02 प्रतिशत सीट विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित हैं।

आर्थिक कमजोर वर्ग का आरक्षण शासनादेश के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

10. वाणिज्य संकाय में कुल 480 सीटे निर्धारित है। वाणिज्य में स्नातक में प्रवेश हेतु कलां, विज्ञान, वाणिज्य एवं व्यावसायिक वर्ग के छात्र अर्ह है । वाणिज्य संकाय के छात्रों के मेरिट का निर्धारण वाणिज्य के विषयों के अंकों के आधार पर किया जाएगा। कला संकाय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र यदि बी.काम प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते हैं तो इण्टरमीडिएट में अर्थशास्त्र विषय अनिवार्य है तथा अर्थशास्त्र के अंक को अवश्य जोड़ा जाएगा। विज्ञान वर्ग के छात्र यदि बी.काम प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते हैं तो गणित संवर्ग के विषय के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा। विज्ञान बायो ग्रुप के छात्रो का प्रवेश बी.काम प्रथम वर्ष में नहीं होता है। इन विषयों के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी। अन्य विषय के छात्र आवेदन न करें।

11. बी0ए0 प्रथम वर्ष कुल सीटों की संख्या 720 एवं बी0 काम प्रथम वर्ष में सीटों की संख्या 480 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है।

12. आवेदन पत्र जमा करते समय छात्र/छात्रा इण्टरमीडिएट के अंकपत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति (जाति प्रमाण पत्र की जमा रसीद को जाति प्रमाण पत्र का आधार नहीं माना जायेगा और इससे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा) तथा भारांक हेतु अन्य प्रमाण पत्र के साथ ही विचार होगा।

13. <u>प्रवेश के समय सम्बन्धित छात्र/छात्राओं की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट अंकतालिका, टी0सी0, चरित्र प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।</u>

14. छात्रवृत्ति हेतु बायोमेट्रिक सिस्टम पर 75% उपस्थिति अनिवार्य है। राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता नम्बर छात्रवृत्ति हेतु अनिवार्य है।

15. विश्वविद्यलाय के निर्देशानुसार वरीयता सूची के निर्धारण में <u>व्यवसायिक शिक्षा के प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक शामिल नहीं होगे।</u>

16. छात्र/छात्रायें अपना आधार कार्ड का क्रमांक अवश्य अंकित करें। बिना आधार कार्ड के कोई भी सरकारी सुविधा देय नहीं होगी।

17. छात्रवृत्ति फार्म भरने वाले प्रत्येक छात्र कम्प्यूटराईज्ड आय प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र बनवा लें जिससे छात्रवृत्ति फार्म भरते समय कठिनाई का सामना न करना पड़े।

18. कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य है। महाविद्यालय में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है।

19. दूरस्त शिक्षा को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना E-mail एवम् WhatsApp नम्बर अवश्य अंकित करें।

20. कोविड-19 को दृष्टिगत बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। छात्र/छात्राऐं अपना काम स्वंय करें।

भारांक:- राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को - इन्डीविजुअल आइटम के अभ्यर्थी द्वारा - प्रथम स्थान आने पर 15 अंक, द्वितीय स्थान आने पर 10 अंक, तृतीय स्थान आने पर 05 अंक, टीम आईटम्स में- सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर 15 अंक, सर्वविजेता (रनर्स अप) टीम का सदस्य होने पर 10 अंक, प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर 05 अंक, किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेन्ट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिताओं में - सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर 10 अंक, इण्डीविजुअली आइटम में प्रथम स्थान होने पर 10 अंक प्रदान किया जायेगा।

नोट:- 1. उपरोक्त 1,2 एवं 3 के अन्तर्गत आइटम्स में से केवल एक ही आइटम का लाभ दिया जायेगा अर्थात यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा आइटम में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम/आइटम का लाभ देय होगा।

2. राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद अथवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग

लेने के लिये शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

3. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

प्रवेश में अधिभार सम्बन्धी नियम :-

1. नेशनल कैडेट कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को 15 अंक या

2. नेशनल कैडेट कोर में (बी) प्रमाण पत्र पाने वाले को 10 अंक या

3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 15 अंक या

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को 10 अंक या

5. स्काउट एवं गाइड्स अथवा रोवर्स/ रेन्जर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को 15 अंक का

6. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स निपुण अभ्यर्थी का 10 अंक या

7. स्काउट एवं गाइड्स का गुरूपद अथवा रोवर्स/रेन्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को 05 अंक प्रदान किया जायेगा।

नोट :-

1. अभ्यर्थी अपना प्रवेश फार्म स्वयं भरें।
2. यदि किसी अभ्यर्थी को उपरोक्त मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते है तो उसे मात्र 25 अंक का ही लाभ दिया जायेगा और इससे अधिक का नहीं।
3. जो अभ्यर्थी इनका भारांक प्राप्त करना चाहते हो तो वे सम्बन्धित भारांक के प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
4. कला संकाय में प्रवेश के समय छात्र/छात्रा इस बात को अवश्य देख लें कि उनकी रसीद पर आवंटित विषय अंकित हैं कि नहीं ?
5. मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी अनुभाग (Section) में किसी भी दशा में 60 से अधिक प्रवेश नहीं किया जायेगा। विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है।
6. योग्यता प्रदायी फार्म के साथ आरक्षण सम्बन्धी समस्त पत्रजात संलग्न होने की स्थिति में ही आरक्षण का लाभ देय होगा। आरक्षण सम्बन्धी पत्रजात योग्यता प्रदायी फार्म के साथ यदि संलग्न नहीं होगा, तो आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। योग्यता प्रदायी फार्म पर संलग्नकों का विवरण अवश्य अंकित करें। योग्यता प्रदायी फार्म जमा करने के पश्चात् किसी भी प्रकार का पत्रजात संशोधन अथवा संलग्नक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. योग्यता प्रदायी फार्म की प्राप्ति रसीद पर भी संलग्नकों के विवरण का उल्लेख करें।

उपलब्ध संकाय एवं विषय

1. भाषा संकाय –

1. अंगेजी 2. हिन्दी 3. संस्कृत

2. कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान संकाय –

1. प्राचीन इतिहास 2. अर्थशास्त्र 3. भूगोल 4. इतिहास
5. समाजशास्त्र 6. मनोविज्ञान 7. राजनीति शास्त्र 8. शिक्षाशास्त्र 9. शारीरिक शिक्षा

3. वाणिज्य संकाय –

नोटः –

संकाय एवं विषय का चयन NEP-2020 एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम एवं आदेश के अनुसार होगा ।

प्रवेशार्थी को कुल दो विषयों के उपलब्ध विषय समूह का चयन प्रवेश के पूर्व ही भली–भाँति सोच समझकर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ करना चाहिए :–

1– तीन साहित्यक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत) में दो से अधिक विषयों का चयन नहीं किया जा सकता ।

2– प्रयोगात्मक विषयों (भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र) में से अधिकतम् दो विषयों का ही चयन किया जा सकता है।

3– विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार भूगोल/इतिहास/प्राचीन इतिहास में से किसी एक विषय का ही चयन किया जा सकता है ।

मुख्य विषय का चयन मेरिट/प्रवेश के अनुसार होगा ।

नोट- प्रवेश हेतु छात्र/छात्राओं को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना अनिवार्य है।

आवश्यक निर्देश- (1) उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार महाविद्यालय परिसर में पान, गुटखा खाकर आना दण्डनीय अपराध है तथा परिसर में पान आदि खाकर थूकने पर 500/– रूपये जुर्माना देय होगा।

प्रो० राज मोहन शर्मा
संयोजक प्रवेश समिति

प्रो० अशोक कुमार सिंह
प्राचार्य

प्रवेश समिति-2026–2027

1.	प्रो0 अशोक कुमार सिंह	संरक्षक
2.	प्रो0 राज मोहन शर्मा	संयोजक
3.	डॉ0 ऋषभ कुमार	सदस्य
4.	डॉ0 अमित कुमार सिंह	सदस्य
5.	डॉ0 अखिलेश नारायण मिश्रा	सदस्य
6.	श्री वशीम अकरम अंसारी	सदस्य

स्थापना वर्ष – 1969

(वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुक्रम में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी दिशा–निर्देश

छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये विषयों के वर्गीकरण की व्यवस्था शासनादेश सं0–1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 15–06–2021 के अनुसार समिति द्वारा विषय समूहों का वर्गीकरण एवं उससे आच्छादित विषय का विवरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है :–

भाषा, कला संकाय एवं मानविकी संकाय

(क) ग्रुप ए :– अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत

(ख) ग्रुप बी :– आधुनिक एवं मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सैन्य विज्ञान, संगीत गायन, ड्राइंग एण्ड पेन्टिग (चित्रकला)

(ग) ग्रुप सी :– समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, भूगोल

महाविद्यालय में सत्र 2026–27 में प्रवेश हेतु निम्नलिखित विषय पुंज अनुमन्य किये जाते हैं :–

1. ग्रुप ए के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय पुंज अनुमन्य किये जाते हैं :–
   अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत (इनमें से अधिकतम कोई दो)
2. ग्रुप बी के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय पुंज अनुमन्य किये जाते हैं :–
   (अ) आधुनिक एवं मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास (इनमें से कोई एक)
   (ब) दर्शनशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, सैन्य विज्ञान (इनमें से कोई एक)
   (स) संगीत गायन, ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग (इनमें से कोई एक)
3. ग्रुप सी के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय पुंज अनुमन्य किये जाते हैं :–
   (अ) समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान (इनमें से कोई एक)
   (ब) अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान (इनमें से कोई एक)
   (स) शारीरिक शिक्षा, भूगोल (इनमें से कोई एक)

<u>नोट :–</u> उपरोक्त विषय पुंजों में से दो मेजर विषय का चयन (अ, ब या स से एक–एक विषय) किया जायेगा।

विषय समूहों का वर्गीकरण व्यवस्था छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। परन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय की मिलेगी।

<u>मुख्य मेजर विषय का चयन :–</u>

प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद, स्नातक मानद शोध सहित एवं स्नातक अप्रेन्टिसशिप एम्बेडेड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

माइनर विषय का चयन :–

1. माइनर विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर होगा न कि पूर्ण विषय। यह 6 क्रेडिट का होगा।
2. विद्यार्थी माइनर विषय का चयन अपने द्वारा चयनित मेजर विषय समूह को छोड़कर अन्य संकाय या दूसरे विषय समूह से भी कर सकता है। माइनर विषय की परीक्षा द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होगी।

वाणिज्य संकाय

वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों को सूचीबद्ध किया जाता है :–

विषय समूह – Major Subject :–

(1) Business Organisation
व्यावसायिक संगठन

(2) Business Statistics
व्यावसायिक सांख्यिकी

प्रथम सेमेस्टर में उपरोक्त विषयों का ही चयन किया जाना है।

मेजर विषय आवंटन हेतु दिशा–निर्देश

1. 2026–27 से एनईपी के अन्तर्गत चलाये जा रहे स्नातक पाठयक्रमों में विद्यार्थी को प्रवेश के समय तीन मेजर विषयों की जगह सिर्फ दो मेजर विषय का चयन किसी एक संकाय से करना होगा और यही उसका अपना संकाय (own faculty) होगा। इन्ही दो स्नातक मेजर विषय के साथ विद्यार्थी इस संकाय में वह अगले तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) तक अध्ययन करेगा।
2. महाविद्यालय में अध्यापकों की उपलब्धता एवं संसाधनों के आधार पर विभिन्न मेजर विषयों की सीट पर प्रवेश दिया जायेगा।
3. छात्र को उपरोक्त विषय पुंज में दिये गये समूहों मे से किसी भी दो विषयों को मुख्य विषय (Major Subject) के रूप में चुनना होगा।
4. छात्र को अपने पहले मुख्य विषय के लिए एक समूह से और दूसरे मुख्य विषय के लिये दूसरे समूह से विषय का चयन करना होगा।
5. मेजर विषयों में केवल एक प्रायोगिक विषय का आवंटन किया जायेगा (विज्ञान संकाय के विषयों को छोड़कर)।

(वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

माइनर विषय आवंटन हेतु दिशा निर्देश

6. छात्र को अपने दो चयनित समूहों को छोड़कर किसी अन्य समूह से किसी एक विषय का और चयन करना होगा, जो उसका माइनर विषय (Minor Subject) होगा।
7. माइनर विषय का चयन मेजर विषय पुंज से भिन्न विषय पुंज से किया जायेगा, जो प्रायोगिक विषय न हो (विज्ञान संकाय के लिये यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगी)।
8. दो मेजर विषय के साथ विद्यार्थी को तीसरा विषय का भी चयन करना होगा, जो उसका माइनर विषय होगा। विद्यार्थी को एक–एक माइनर विषय का स्नातक प्रथम वर्ष (द्वितीय सेमेस्टर) एवं द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) में अध्ययन करना होगा।
9. माइनर विषयों में प्रायोगिक विषयों का आवंटन नहीं किया जायेगा (विज्ञान संकाय के लिये यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगी)।
10. महाविद्यालय में उपलब्धता एवं प्रचलित कोर्स के आधार पर माइनर विषय (Minor Subject) का आवंटन किया जायेगा।
11. माइनर पेपर का आवंटन स्नातक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में किया जायेगा। विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में माइनर हेतु चयन किये गये विषय के रूप में द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रश्न–पत्र (Paper/Course) का अध्ययन करेगा।
12. माइनर पेपर की परीक्षा द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के साथ सम्पन्न होगी।
13. मेजर पेपर के समान माइनर पेपर भी 06 क्रेडिट को होगा।

कौशल विकास कोर्स एवं पाठ्य–सहगामी के चयन हेतु दिशा निर्देश

1. स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को मेजर एवं माइनर विषयों के साथ कौशल विकास कोर्स तथा पाठ्य–सहगामी कोर्स का भी अनिवार्य रूप से अध्ययन करना होगा।
2. कौशल विकास कोर्स को विद्यार्थी स्नातक स्तर पर प्रथम तीन सेमेस्टर (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर) में अध्ययन करेगा जो 3 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर तथा कुल 09 क्रेडिट को होगा तथा पाठ्य–सहगामी कोर्स को उसे प्रथम चार सेमेस्टर (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) में अध्ययन करना होगा, जो कुल 08 क्रेडिट (प्रति सेमेस्टर 02 क्रेडिट) का होगा।
3. विद्यार्थियों को कौशल विकास कोर्स तथा पाठ्य–सहगामी कोर्स के आवंटन को और सुविधाजनक बनाने के लिये सेमेस्टरवार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कर दिया गया है।
4. विद्यार्थी कौशल विकास कोर्स और पाठ्य–सहगामी कोर्स का चयन नीचे दी गई सूची में से उस ग्रुप से करेगा जिसमें वह वर्तमान में अध्ययनरत होगा। अर्थात् यदि विद्यार्थी द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययनरत है तो वह द्वितीय सेमेस्टर में

(वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

उपलब्ध ग्रुप में से ही कौशल विकास कोर्स तथा पाठ्य–सहगामी कोर्स का चयन कर सकता है, किसी अन्य सेमेस्टर के ग्रुप में से नही कर पायेगा।

5. स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यार्थी को पाठ्य–सहगामी कोर्स में एक भारतीय भाषा/स्थानीय भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। किन्तु भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रूप में लेने वाले विद्यार्थी 'सामाजिक उत्तदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगें।'

कौशल विकास कोर्स Skill Development Courses

<u>प्रथम सेमेस्टर :–</u>

1– Voluntary Action and NGO Management
(बी0ए0/बी0कॉम0 के छात्रों के लिये)

<u>द्वितीय सेमेस्टर :–</u>

1– Gandhian Model of Skill Development
(बी0ए0/बी0कॉम0 के छात्रों के लिये)

<u>तृतीय सेमेस्टर :–</u>

1– Psychological Testing
(बी0ए0/बी0कॉम0 के छात्रों के लिये)

पाठ्य–सहगामी कोर्स Co-Curricular Courses

<u>प्रथम सेमेस्टर :–</u>

1– First Aid and Basic Health
(प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)
(बी0ए0/बी0काम0 के छात्रों के लिये)

<u>द्वितीय सेमेस्टर :–</u>

1– Human Values and Environmental Studies
(मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन)
(बी0ए0/बी0काम0 के छात्रों के लिये)

<u>तृतीय सेमेस्टर :–</u>

1– Physical Education and Yoga
(शारीरिक शिक्षा एवं योग)
(बी0ए0/बी0काम0 के छात्रों के लिये)

<u>चतुर्थ सेमेस्टर :–</u>

एक भारतीय/स्थानीय भाषा या यू0जी0सी0 द्वारा बनाये गये सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चयनित करना होगा।

1. पालि 2. भोजपूरी 3. कन्नड़ 4, सामान्य हिन्दी, 5. सामान्य संस्कृत
(बी0ए0/बी0काम0 के छात्रों के लिये)

(वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्राविधानों के अनुसार होनी है। अतः प्रवेशार्थियों के लिये विषयों का अंतिम रूप से आंवटन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत ही काउन्सलिंग के समय किया जायेगा।

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मीरजापुर की समर्थ वेबसाइट https://mvvuadm-samarth.edu.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इससे अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या (SRN Number) मिलेगा जिसको फार्म में भरना अनिवार्य होगा। इसके बिना अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा।
2. वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 में इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही स्नातक कक्षा में सत्र 2026–2027 में प्रवेश हेतु पात्र होगें।
3. वर्ष 2024 एवं 2025 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्राप्तांकों में क्रमशः 10 एवं 05 प्रतिशत के अंकों की कटौती की जायेगी।
4. प्रवेश की योग्यता सूची का निर्धारण योग्यता प्रदायी परीक्षा (इण्टरमीडिएट) के अधिकतम अंक प्राप्त पांच विषयों के अंकों के आधार पर किया जायेगा।
5. व्यावसायिक विषयों से इण्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश की मेरिट केवल उनके सैद्धान्तिक अंकों के आधार पर बनायी जायेगी।
6. वर्तमान सत्र में यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा इस संस्था के अतिरिक्त किसी दूसरी संस्था में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश लिया जाता है तो संज्ञान में आने पर उसका प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा ।
7. यदि कोई छात्र/छात्रा प्रवेश लेने के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो उसे किसी भी प्रकार के शुल्क की वापसी महाविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
8. महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रारम्भ होगा।
9. बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर में किसी विषय में छात्रों की संख्या का निर्धारण महाविद्यालय के संसाधनों एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों पर आधारित होगा।
10. एक संकाय/विभाग में प्रवेश हेतु पंजीकृत आवेदन पत्र किसी अन्य संकाय/विभाग में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी कई विभागों/संकायों में प्रवेश आवेदन करना चाहता है तो उसे विभाग/संकाय में अलग–अलग आवेदन करना चाहिए।
11. आवेदन फार्म की हार्ड कापी पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर महाविद्यालय में जमा करें। संलग्न प्रमाण–पत्रों से ही योग्यता सूची का निर्धारण किया जायेगा :–

(क) हाईस्कूल अंक तालिका की स्वप्रमाणित छाया प्रति ।
(ख) इण्टरमीडिएट अंक तालिका की स्वप्रमाणित छाया प्रति ।
(ग) चरित्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति ।
(घ) दो नवीनतम् फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज)
(छ) यदि आरक्षित वर्ग के हैं तो आरक्षित श्रेणी के नवीन कम्प्यूटराइज्ड प्रमाण पत्र के प्रारूप पर प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति अन्यथा आरक्षण का लाभ नही दिया जायेगा।
(च) EWS श्रेणी के अभ्यर्थी सम्बन्धित नवीनतम प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति अवश्य जमा करें।
(घ) यदि किसी प्रकार का अधिभार अंक आवेदित है तो तत्सम्वन्धित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति ।

(वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

12. प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों के समय से न पहुँच पाने का उत्तरदायित्व महाविद्यालय पर नहीं होगा। प्रवेश लेते समय प्रवेशार्थी को सभी वांछित प्रपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मूल प्रपत्र प्रस्तुत न करने पर संयोजक किसी भी दशा में प्रवेश नहीं देगें।
13. किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या उस विशेष पाठ्यक्रम में निर्धारित स्थान पर निर्भर करेगी। अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा।
14. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए एक प्रवेश समिति होगी जिसकी स्वीकृति के आधार पर प्रवेश हो सकेगा।
15. प्रवेश के लिए चुने गये अभ्यर्थी प्रवेश समिति द्वारा निर्दिष्ट निश्चित तिथि तक महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपेक्षित शुल्क जमा करें। निर्धारित तिथि के भीतर शुल्क जमा न करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। जिस पाठ्य विषय में प्रवेश दिया गया है उसके विभागाध्यक्ष को प्रवेश रसीद दिखाकर अपना नाम कक्षा रजिस्टर में अंकित करा लें।
16. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त सभी छात्र/छात्राओं को सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित परीक्षा फार्म भरने की अनिवार्यता होगी।
17. प्रवेश समिति/प्राक्टर/विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर किसी भी छात्र का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
18. महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में सीमित स्थान होने के कारण प्रवेश योग्यता क्रम के आधार पर दिया जायेगा।
19. एक बार अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में दोबारा बैठ सकते हैं पर किसी भी दशा में उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
20. विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में असफल रह जाने या रोक दिये जाने पर किसी छात्र को महाविद्यालय की किसी कक्षा में प्रवेश नहीं मिल सकता है।
21. महाविद्यालय में पठन–पाठन के हित में प्राचार्य/प्रवेश समिति आवश्यकतानुसार नये नियम निर्देशित कर सकती है।
22. प्रवेश आवेदन–पत्र जमा करते समय संलग्न मान्य प्रमाण–पत्रों (अधिभार, आरक्षण आदि से सम्बन्धित) पर ही श्रेष्ठता सूची बनाते समय विचार किया जायेगा। इसके पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रमाण–पत्र को स्वीकार/विचार नहीं किया जायेगा।

आरक्षण

स्नातक कला एवं विज्ञान प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत समस्त प्रवेश सीटों पर उ0प्र0 शासन (उच्च शिक्षा) अनुभाग द्वारा अद्यतन अनुमन्य आरक्षण दिये जाने का प्रावधान लागू होगा। प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण–पत्र, EWS सम्बन्धित नवीनतम प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को उनके वर्ग में ही एक प्रतिशत आरक्षण देय है।